Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to extend the benefit of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme to forest dwellers and Adivasi people of Chhattisgarh-laid.

श्री दीपक बैज (बस्तर): छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनवासी एवं आदिवासी समुदाय के जीवन-यापन हेतु परंपरागत अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से जमीनों का पट्टा इनके नाम किया है । इससे लाखों वनवासियों में एक नई आशा एवं ऊर्जा का संचार हुआ है । साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार इन वनवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु अपने विभिन्न सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत इन्हें लाभान्वित कर रही है ।

पर इस वर्ष लागू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 'वन अधिकार अधिनियम 2006' के तहत छत्तीसगढ़ के जमीन पट्टाधारक, वनवासी एवं आदिवासी समुदाय को शामिल नहीं किया गया है । जिससे उन्हें योजना के तहत 6 हजार रूपए का लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार वन अधिकारी अधिनियम 2006 के तहत वनवासी एवं आदिवासी समुदाय के नाम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी जमीन पट्टाधारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें जिससे अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे ।